



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124729

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17799 वर्ष 2026

सुनीता देवीआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : व्रत शील

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., जनार्दन यादव

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री व्रत शील, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को पुलिस थाना घोसी, जिला मऊ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 45 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 103(1) के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सभी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाया गया है, हालांकि, आरोपी रामजीत यादव के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाया गया है; अन्वेषण के दौरान प्रत्यक्षदर्शी ने मृतक को चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप रामजीत यादव के साथ-साथ सह-आरोपी विजेंद्र यादव पर लगाया है और आवेदक को केवल सह-आरोपी विजेंद्र यादव की पत्नी होने के नाते झूठा फंसाया गया है, हालांकि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घायल को दो चोटें आईं: एक अंदरूनी घाव है और दूसरा विदीर्ण घाव (फटा हुआ घाव) है, जिन्हें कारित करने का आरोप सह-आरोपी रामजीत यादव और विजेंद्र यादव पर लगाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को गंभीर उद्देश्यों के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक महिला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 09.02.2026 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए, हिर सत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025** एससीसी ऑनलाइन एससीसी **3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक - सुनीता देवी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगी।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगी।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगी।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित किए जाने के आधार पर रिहा किया जाएगा कि 15 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की नीति रणनीति, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 जिसका निर्णय 31.01.2023 को हुआ और (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही पीला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **169** वर्ष **2025** जिसका निर्णय **29.05.2026** को हुआ, के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 2, 2026

सी.एस./-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"